

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(18)राज-6/99/8

जयपुर, दिनांक 10.2.2005

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अधिनियम की धारा 90-ख, जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या-21) के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य में पदस्थापित समस्त तहसीलदार धारा 90(ख) की शक्तियों का प्रयोग केवल उनकी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिका व उसका पेराफेरी क्षेत्र को छोड़कर) तक ही करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव